अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 44/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

श्रीमती वर्षा देवी पत्नी स्व. श्री रणजीत सिंह चौहान निवासी ई–51 गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म, रामनगर, सोडाला, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. अजय चौहान पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह चौहान
2. श्रीमती राखी पत्नी श्री अजय चौहान
3. नितेश चौहान पुत्र स्व. श्री रणजीत सिंह चौहान
4. श्रीमती अन्शुल भारती पत्नी श्री नितेश चौहान

निवासी ई– 51 गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म, रामनगर सोडाला, जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.08.2023 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 39/2020 ब–उनवानी श्रीमती वर्षा देवी बनाम अजय चौहान व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. रेस्पोडेन्ट सख्यां 3 व 4 मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

(मुहर: जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.))

निर्णय

दिनांक 18.03.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 39/2020 ब–उनवानी श्रीमती वर्षा देवी बनाम अजय चौहान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई। नोटिस तामील हो चुके है, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं है, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 मय प्रतिनिधि के उपस्थित है। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थिया के प्रतिनिधि ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 अपीलार्थिया के पुत्र है तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 पुत्रवधु है। अपीलार्थिया वृद्व महिला

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

व वरिष्ठ नागरिक है जो कि अत्याधिक बीमार रहती है इसके बावजूद प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थिया के साथ गाली गलोच व मारपीट की जातीं है एवं न खाना दिया जाता और ना ही अपीलार्थिया की सार सम्भाल ही की जाती है। ना ही भरण पोषण बाबत राशि दी जाती है। प्रत्यर्थीगण के कृत्यों से परेशान हो कर अपीलार्थिया ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 माता पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत परिवाद प्रस्तुत कर अपीलार्थिया के स्वामित्व की सम्पत्ति ई–51 गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म, रामनगर सोडाला, जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर अपीलार्थिया को उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलवाने तथा प्रत्यर्थीगण से भरण पोषण राशि 5000/–रूपया बतौर हर्जा खर्चा दिलाने का अनुतोष चाहा गया था, किन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने केवल परिवाद आंशिक स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से 5000–5000 रूपया प्रति माह अदा करने का अनुतोष दिया तथा अपीलार्थिया के साथ मारपीट नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबन्द तो कर दिया, किन्तु मकान से बेदखल किये जाने के अनुतोष स्वीकार नहीं किया । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अधिकरण आदेश को यथावत रखते हुये अपीलार्थी के मकान से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किये जाने का आदश फरमावें, ताकि अपीलार्थिया अपना शेष जीवन शान्ति से गुजार सके।

5. प्रत्यथी संख्या 3 व 4 के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया द्वारा अपनी अपील का मुख्य आधार प्लाट संख्या ई– 51 गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म, रामनगर सोडाला, जयपुर स्वयं की खरीद शुदा सम्पत्ति होना अभिकथित करते हुए उससे मिन अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को बेदखल करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि अपीलार्थिया द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तथा वह एक गृहणी महिला थी। उक्त सम्पत्ति को खरीद करने मे अपीलार्थिया का कोई धन नहीं लगा हुआ है बल्कि सही तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व प्रत्यर्थी संख्या 3 के पिता नोकरी करते थे तथा नौकरी के दौरान ही उनका स्वर्गवास हो गया था ,उनकी मृत्यु के पश्चात सेवा परिलाभों से मिली राशि से उक्त मकान खरीद किया गया है जिस कारण से उपरोक्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थी संख्या 1 का भी हक व अधिकार निहित है । उपरोक्त सम्पत्ति अपीलार्थिया की स्वयं की आय से खरीद नहीं की गई है बल्कि उपरोक्त सम्पत्ति पैत्रक सम्पत्ति है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 संयुक्त हिन्दू परिवार की हैसियत से निवास कर रहे है। अपीलार्थिया द्वारा केवल मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के बहकावे में आकर प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 को प्रश्नागत पैत्रक सम्पत्ति होने के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर बेदखल करवा कर उक्त सम्पत्ति का बेचान करना चाहती है जिसका अपीलार्थिया को कोई विधिक अधिकार नही है । अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थिया ने यह अपील प्रस्तुत कर, अपने स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर ई–51 गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म, रामनगर सोडाला, जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 को बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। विवादित सम्पत्ति अपीलार्थिया के स्वामित्व की है । माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माता–पिता एवं वरिष्ठ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) है जो इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। प्रत्यर्थी संख्या 1लगायत 4 को उक्त सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाना उचित है। अपीलार्थी का यह अनुतोष स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2023 को यथावत रखते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को अपीलार्थी के स्वामित्व की सम्पति मकान नम्बर ई–51 गोविन्दपुरी, स्वेज फार्म, रामनगर सोडाला, जयपुर से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है।

9. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **18.03.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner